



# Haryana Government Gazette

## EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

131-2026/Ext.] CHANDIGARH, THURSDAY, AUGUST 27, 2026 (BHADRA 5, 1948 SAKA)

HARYANA VIDHAN SABHA

### Notification

The 27th August, 2026

**No. 22-HLA of 2026/107/14720.**— The Haryana Law Officers (Engagement) Amendment Bill, 2026 is hereby published for general information under proviso to Rule 128 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly :-

**Bill No. 22- HLA of 2026**

**A**

### BILL

*further to amend the Haryana Law Officers (Engagement) Act, 2016.*

Be it enacted by the Legislature of the State of Haryana in the Seventy-seventh Year of the Republic of India as follows:-

- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <p><b>1.</b> (1) This Act may be called the Haryana Law Officers (Engagement) Amendment Act, 2026.</p> <p>(2) It shall be deemed to have come into force with effect from the 22nd July, 2026.</p>                                                                                                       | <p>Short title and commencement.</p>                     |
| <p><b>2.</b> In the proviso to sub-section (3) of section 6 of the Haryana Law Officers (Engagement) Act, 2016, for the word “ten”, the word “fifteen” shall be substituted.</p>                                                                                                                         | <p>Amendment of section 6 of Haryana Act 18 of 2016.</p> |
| <p><b>3.</b> (1) The Haryana Law Officers (Engagement) Amendment Ordinance, 2026 (Haryana Ordinance No. 6 of 2026) is hereby repealed.</p> <p>(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the said Ordinance shall be deemed to have been done or taken under this Act.</p> | <p>Repeal and savings.</p>                               |

**STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS**

The Haryana Law Officers (Engagement) Act, 2016 was notified on 14.09.2016 with the objective to provide for a system of engagement of Law Officers in the office of Advocate General, Haryana in transparent, fare and objective manner and for a matters connected there with or incidental thereto. Keeping in view of changed scenario and with the introduction of “The Bhartiya Nyaya Sanhita 2023” in particular, whereby twenty offences (approximately) have been added, punishment of imprisonment and fines have been increased for number of offences and even sentence of community service has been introduced for some offences, the strength of Advocates to be engaged on basis of special qualification and experience under proviso to sub-section (3) of the section 6 of the Act need to be increased from 10 to 15 to deal with specialized nature of cases.

Hence, this bill.

NAYAB SINGH,  
Chief Minister, Haryana.

Chandigarh:  
The 27th August, 2026

DR. VIRENDER KUMAR DAHIYA,  
Secretary.

[प्राधिकृत अनुवाद]

2026 का विधेयक संख्या 22 एच.एल.ए.

हरियाणा विधि अधिकारी (विनियोजन) संशोधन विधेयक, 2026  
 हरियाणा विधि अधिकारी (विनियोजन) अधिनियम, 2016  
 को आगे संशोधित  
 करने के लिए  
 विधेयक

भारत गणराज्य के सतहत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य के विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

1. (1) यह अधिनियम हरियाणा विधि अधिकारी (विनियोजन) संशोधन अधिनियम, 2026 कहा जा सकता है।  
 (2) यह 22 जुलाई, 2026 से लागू हुआ समझा जाएगा।
2. हरियाणा विधि अधिकारी (विनियोजन) अधिनियम, 2016 की धारा 6 की उप-धारा (3) के परन्तुक में, "दस" शब्द के स्थान पर, "पन्द्रह" शब्द प्रतिस्थापित किया जाएगा।
3. (1) हरियाणा विधि अधिकारी (विनियोजन) संशोधन अध्यादेश, 2026 (2026 का हरियाणा अध्यादेश संख्या 6), इसके द्वारा, निरसित किया जाता है।  
 (2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई, इस अधिनियम के अधीन की गई बात या की गई कार्रवाई समझी जाएगी।

संक्षिप्त नाम तथा  
प्रारम्भ।

2016 के हरियाणा  
अधिनियम 18 की  
धारा 6 का  
संशोधन।

निरसन तथा  
व्यावृत्ति।

**उद्देश्यों तथा कारणों का विवरण**

हरियाणा विधि अधिकारी (विनियोजन) अधिनियम, 2016, को 14.09.2016 को इस उद्देश्य से अधिसूचित किया गया था कि हरियाणा के महाधिवक्ता के कार्यालय में कानून अधिकारियों की नियुक्ति की एक पारदर्शी, निष्पक्ष और वस्तुनिष्ठ प्रणाली प्रदान की जा सके, तथा इससे जुड़े या आनुषंगिक मामलों की व्यवस्था की जा सके। परिवर्तित परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए और विशेष रूप से "भारतीय न्याय संहिता 2023" के लागू होने के साथ जिसके तहत (लगभग) बीस नए अपराध जोड़े गए हैं, कई अपराधों के लिए कारावास की सजा और जुर्माने की राशि में वृद्धि की गई है, तथा कुछ अपराधों के लिए सामुदायिक सेवायें (Community Service) की सजा का प्रावधान भी पेश किया गया है विशेष योग्यता और अनुभव के आधार पर अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (3) के परंतुक के तहत नियुक्त किए जाने वाले अधिवक्ताओं की संख्या को विशेष प्रकृति के मामलों से निपटने के लिए 10 से बढ़ाकर 15 करने की आवश्यकता है।

अतः यह विधेयक प्रस्तुत है।

नायब सिंह,  
मुख्यमंत्री, हरियाणा।

चण्डीगढ़:  
दिनांक 27 अगस्त, 2026.

डॉ. वीरेंद्र कुमार दहिया,  
सचिव।